U;k;ky; Hkk icU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkuj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 04@2021

1. पवन कुमार पुत्र रामानंद उम्र 48 वर्ष जाति लुहारीवाल निवासी राजगढ जिला चूरू ।

vihykVl

cuke

1. गोविन्द पुत्र प्रयाग चंद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
2. जगदीश पुत्र इन्द्रचंनद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
3. संजय पुत्र इन्द्रचंद जाति जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
4. प्रदीप कुमार इन्द्रचंद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
5. गणेश पुत्र सीताराम जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 17 राजगढ जिला चूरू ।
6. कैलाश पुत्र सीताराम जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
7. सेवाराम पुत्र सीताराम जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
8. सत्यनारायण पुत्र महादेव लाल जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
9. संतोष पुत्र महादेवलाल जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
10. .नारायण पुत्र महादेव लाल जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।
11. श्यामसुन्दर पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।

12.संतोष पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।

13.सज्जन पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।

14.सुभाष पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।

15.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

jLikMs.V

16.रामावतार पुत्र रामानन्द जाति लुहारीवाला (महाजन) निवासी वार्ड न0 15 राजगढ जिला चूरू ।

xk.k jLikMs.V

mifLFkr%& 1. श्री दिनेश कुमार अधिवक्ता अपीलांट ।

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx< d okn l0 194@2019 e fu.k; o vfre fMØh fnukd 17-09-2020 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—20.09.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 1750 तादादी 2.2100 हैक्टयर वाके रोही राजगढ जिला चूरू में स्थित है । अपीलांट द्वारा एक दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य तनकियात व पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज कर डिक्री कर दिया गया । जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1750 तादादी 2.2100 हैक्टयर वाके रोही राजगढ जिला चूरू में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व गौण रेस्पोडेन्ट के पुर्वज सुरजमल, लालचंद व जुगा भाईयों के बिच बंटवारानामा हुआ था उसी अनुसार जमाबंदी संवत 2073—76 के अनुसार अपीलांट व

गोण रेस्पो0 के हिस्से पांती में आई उसी अनुसार अपीलांट व गोण रेस्पो0 का कब्जा काश्त आदिनांक तक चला आ रहा है एवम सुरजमल,लालंचद व रामनाथ ने अपने जीवनकाल में लिखा पडी भाई बंटवारा दिनांक 19.08.1963 को एक पड़खती (मेमोरेण्डम आफ फेमिली सेटलमेंट) लिखी थी जिसके अनुरूप सभी भाई बंधु अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर चल व अचल संम्पतियों का उपभोग करते आ रहे है । इसी प्रकार मौखिक पारिवारिक व लिखिल बंटवारें नामें के अनुसरण में कस्बा राजगढ में वादगत कृषि भूमि अपीलांट के दादा के हिस्से में आई थी । उक्त समझोते में अपीलांट 19.08.1963 की लिखा पढी में अपीलांट वादगत कृषि भूमि का अकेला खातेदार हो गया था । इसलिये अपीलांट व गोण रेस्पो0 ने एक खातेदारी घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य बिना तनकियात कायम किये व अपीलांट को बिना सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना 17.09.2020 को डिक्री कर दिया । अपीलांट, रेस्पो0 व गोण रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है इनका परिवार बढ़ जाने के कारण व कृषि भूमि सिमित मात्रा में हो जाने के कारण पक्षकारानों का व्यापार व व्ययसाय में लगे रहने एवम कृषि भूमि की सारसंभाल नही कर पाने के चलते उन्होने आपस में मौखिक व लिखित रूप से अपनी समस्त चल अचल सम्पति का बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व पक्षकारों के पूर्वजो के मध्य बंटवारा हो गया । जिसकी लिखा पढी दिनांक 19.08.63 को एक पड़खती (मेमोरेण्डम आफ फेमिली सेटलमेंट) के अनुरूप अपने हक हिस्सा पर काबिज हो उस सम्पति का उपयोग उपभोग करते आ रहे है । इसी पारिवारिक बंटवारें के अनुसरण में कस्बा राजगढ की इस वादगत कृषि भूमि को रामकुमार के हक में देकर शेष पक्षकारानों को नगदी सोना व चांदी दे दी गयी जिसे लेकर वो अन्य दुरदराज सीानो में व्यापार व्यवसाय हेतु चले गये परन्तु राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज होकर चला आ रहा है जिस कारण अपीलांट वादगत कृषि भूमि का अकेले खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, खातेदार घोषित कर दावा डिक्री किया जावे एवम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज की जावे ।

3. हमने अपीलांट अभिभाषक की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया वादगत कृषि भूमि की जमाबंदी गोविन्दराम दत्तक पुत्र प्रयागदास, इन्द्रचंद पुत्र मोतीलाल व गणेशनारायण, केलाशचंन्द्र पुत्रगण सीताराम द्वारा लिखित ईकरारनामा पेश किया गया है तथा वंशवृक्ष भी पेश किया हुआ है । दिनांक 19.08.63 में हुऐ पारिवारिक बंटवारा भी पेश किया हुआ है । जिसके अनुसार अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व गोण रेस्पो0 के पूर्वज सुरजमल लाबचंद, रामनाथ कुल सम्पति में प्रत्येक 1/3 हिस्से के वारिस रहे थें । पक्षकारान का परिवार बढ़ जाने व भूमि कम होने के कारण सभी व्यापार व्यवसाय में लग गये थे जिस कारण वो कृषि भूमि की सारसंभाल न कर पाने के कारण आपस में मोखिक व लिखित रूप से चल व अचल संम्पति का पारिवारिक बंटवारा स्वर्गीय सुरजमल, लाबचंद व रामनाथ के जीवनकाल में ही

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले ही पक्षकारों के पूर्वजो के मध्य हो गया था जिसकी लिखापड़ी दिनांक 19.08.63 को आपस में एक पड़खती (मेमोरेण्डम आफ फेमिली सेटलमेंट) कर लिया । इस पारिवारिक बंटवारें के अनुसरण में वादगत कृषि भूमि रामकुमार के हक में देकर शेष सभी पक्षकारानों को नगदी व सोना चांदी दे दिये थे जो सभी दुर स्थानो पर व्यापार करने चले गये किन्तु राजस्व रेकार्ड में उनका नाम चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने का हकदार अपीलांट है ।अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी का वाद यह कहते हुऐ खारिज किया गया है कि पक्षकारानों के मध्य जो ईकरारनामा हुआ है वह साधारण कागज पर हुआ है जिस पर स्टाम्प डयुटी नही लगाई गयी है जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत सुर्पीम कोर्ट के सिवील अपील नं0 7764/2014 रवीन्द्रकौर बनाम मंजीतकौर निर्णय दिनांक 31.07.2020 प्रस्तुत की है जिसमें यह निर्णित किया गया है कि पुराने समय में जो ईकरार नामें पारिवारिक समझोते के तहत हुऐ है उन पर रजिस्ट्रेशन की काई आवश्यकता नही है ।

4. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2020 को अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट वादगत कृषि भूमि ख0न0 1750 तादादी 2.2100 हैक्टयर का खातेदार घोषित किया जाने का हकदार है नियमानुसार कार्यवाही कर अपीलांट व गोण रेस्पो0 को खातेदार घोषित किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
5. निर्णय आज दिंनाक 20.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkk.cU/k vf/kdkjh ,oa
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj